



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज—पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

*Published by Authority*

भाद्र 24, बुधवार, शाके 1932—सितम्बर 15, 2010  
*Bhadra 24, Wednesday, Saka 1932—September 15, 2010*

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप—2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 15, 2010

संख्या प. 2 (29) विधि/2/2010.—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 2010 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 20)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 2010 को प्राप्त हुई)

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान—मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 89 का संशोधन.—राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 89 में,—

(क) उप—धारा (1) में, अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न “:” के स्थान पर विराम चिह्न “।” प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ख) उप—धारा (1) का विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा।

(ग) उप—धारा (6) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “उप—धारा (2) के खण्ड (i), (ii) और (iv) में विनिर्दिष्ट पदों पर

और उप-धारा (3) के अधीन काडर में सम्मिलित पदों पर" हटायी जायेगी; और

(घ) विद्यमान उप-धारा (6-क) हटायी जायेगी।

3. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 90 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 90 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 89 की उप-धारा (2) के खण्ड (iii) और (v) में विनिर्दिष्ट पदों को छोड़कर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 89 की उप-धारा (2) के खण्ड (v) में विनिर्दिष्ट पदों को छोड़कर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

कपिल भार्गव,  
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT  
(GROUP-II)**

**NOTIFICATION**

**Jaipur, September 15, 2010**

**No. F. 2 (29) Vidhi/2/2010.**—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Panchayati Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010 (2010 Ka Adhiniyam Sankhyank 20) :—

**(Authorised English Translation)**

**THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT)  
ACT, 2010**

**(Act No. 20 of 2010)**

**[Received the assent of the Governor on the 13<sup>th</sup> day of  
September, 2010]**

*An*

*Act*

*further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:—

**1. Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force at once.

**2. Amendment of section 89, Rajasthan Act No. 13 of 1994.**— In section 89 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), hereinafter referred to as the principal Act,—

- (a) in sub-section (1), for the existing punctuation mark ":", appearing at the end, the punctuation mark "." shall be substituted;
- (b) the existing proviso of sub-section (1) shall be deleted;
- (c) in sub-section (6), the existing expression "on the posts specified in clauses (i), (ii) and (iv) of sub-section (2) and on the posts encadred under sub-section (3)" shall be deleted; and
- (d) the existing sub-section (6-A) shall be deleted.

**3. Amendment of section 90, Rajasthan Act No. 13 of 1994.**— In clause (a) of sub-section (2) of section 90 of the principal Act, for the existing expression "except the posts specified in clause (iii) and (v) of sub-section (2) of section 89", the expression "except the posts specified in clause (v) of sub-section (2) of section 89" shall be substituted.

कपिल भार्गव,

**Principal Secretary to the Government.**